'संलग्नक क'
'Annexure A'

राज गुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

RAJ GUPTA AND COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

सेवा में

सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड

के सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के 31 मार्च,2007 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन-पत्र एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते तथा कैश-फ्लो स्टेटमेंट की लेखा-परीक्षा की है और हमारी रिपोर्ट यह है कि इन वित्तीय विवरणों का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है । हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत प्रकट करने का है।

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा, भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है । उन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा का नियोजन तथा निष्पादन इस औचित्यपूर्ण आश्वासन लेने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं । लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार पर राशि का समर्थन करने वाले साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों का खुलासा करते हुए जाँच करना शामिल होता है । प्रयोग में लाए गए लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना तथा साथ ही साथ समग्र रूप से वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है । हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट हमारे मत के लिए एक औचित्यपूर्ण आधार प्रदान करती है।

3. चूंकि कंपनी विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 2003 के तहत नियंत्रणाधीन है, अतः इसके नियमों के साथ पठित इस अधिनियम के प्रावधान (जहां कहीं भी ये कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों से असंगत है) लागू हुए हैं।

To

The Members of

Satluj Jal Vidyut Nigam Limited

Auditors' Report.

1. We have audited the attached Balance Sheet of Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd. as at 31st March, 2007, Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit report provides a reasonable basis for our opinion.

3. As the Electricity Act, 2003, governs the Company, the provisions of the said Act read with the rules there under have prevailed wherever the same have been inconsistent with the provisions of the Companies Act, 1956.

R.K. AGARWAL
General Manager (C & S)

4. यथाअपेक्षित कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 227 (4-ए) के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखा-परीक्षा रिपोर्ट) (संशोधित) आदेश,2004 द्वारा अपेक्षित हम उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों संबंधी विवरण संलग्न कर रहे हैं।

5. हम निम्नलिखित की ओर ध्यान दिलाते हैं :

i) अनुसूची 20 में नीति सं 3.1

विषयः उन मामलों में अचल परिसंपत्तियों के अंतिम मूल्य का निर्धारण, जिनमें ठेकेदारों के बिलों का निबटान लंबित/विवादाधीन है। समायोजन के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

ii) अनुसूची-20 में टिप्पण सं. 10

विषयः पुनर्रुद्धार गतिविधि पर व्यय के तौर पर रु.9129 लाख का अस्थायी बीमा दावा तथा बीमा कंपनी से प्राप्त हुई रु.5000 लाख की राशि का समायोजन और इसका पूर्व अवधि तथा चालू वर्ष के उत्पादन एवं प्रशासनिक खर्चों के बीच आबंटन।

iii) अनुसूची-20 में टिप्पण सं. 13(i) एवं 13 (ii)

विषयः लेखागत नीतियों में बदलाव और इनका प्रभाव निम्नवत है :-

(क) सकल ब्लॉक में रु.3244 लाख की वृद्धि।

(ख) शुद्ध ब्लॉक में रु.4310 लाख की कमी।

(ग) देयता में रु.3244 लाख की वृद्धि।

(घ) मूल्यह्रास में रु.7554 लाख की वृद्धि।

(ड.) लाभ में रु.7554 लाख की कमी।

6. उपर्युक्त पैरा 1,2 एवं 3 में हमारी दी गई टिप्पणियों के अतिरिक्त हमारी रिपोर्ट यह है कि :

क) हमारे द्वारा सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए गए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी ने, कानून के अनुसार अपेक्षित लेखा बहियां रखी हैं, ऐसा हमारे द्वारा कंपनी की बहियों की जाँच से पता चलता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

4. As required by the Companies (Auditors' Report) (Amendment) Order, 2004 issued by the Government of India in terms of Section 227 (4A) of the Companies Act, 1956, we enclose in the Annexure, a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order.

5. **We draw attention to:**

i) **Policy No.3.1 of Schedule-20**

Reg.: Determination of final value of fixed assets in cases where final settlement of bills with the contractors is pending/under dispute. The impact of adjustments is not ascertainable.

ii) **Note No.10 of Schedule-20**

Reg.: Provisional insurance claim of Rs.9129 Lakh against expenditure on restoration activity and adjustment of on account payment of Rs.5000 Lakh received from the Insurance Company and allocation thereof between Prior Period and current year Generation and Administration Expenses.

iii) **Note No.13 (i) and 13(ii) of Schedule-20**

Reg.: Change in Accounting Policies and impact thereof is as follows:

(a) **Increase in Gross Block by Rs.3244 Lakh.**

(b) **Decrease in Net Block by Rs.4310 Lakh.**

(c) **Increase in Liability by Rs.3244 Lakh.**

(d) **Increase in Depreciation by Rs.7554 Lakh.**

(e) **Decrease in Profit by Rs.7554 Lakh.**

6. Further to our comments in para 1, 2 and 3 above, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b) In our opinion, the Company as required by Law, has kept proper books of accounts so far as appears from our examination of books of the Company.

c) The Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

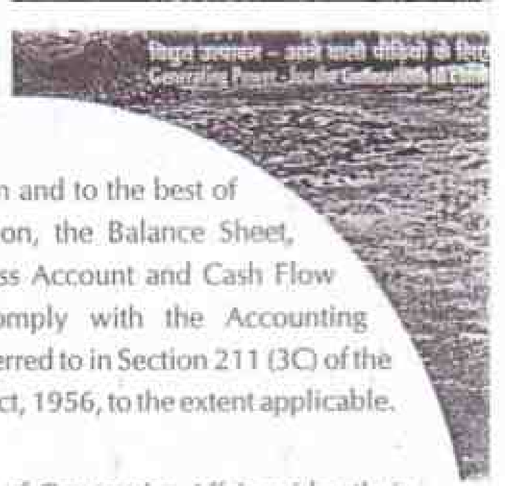

घ) हमारे अपने विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट के तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश-फ्लो विवरण कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 211 (3सी) में वर्णित प्रयोज्य सीमा तक लेखा-मानकों के अनुरूप हैं।

ङ) कंपनी मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्तूबर,2003 की अपनी अधिसूचना सं.एफ.नं.8/5/2001-सीएल. वी. के माध्यम से यह अधिसूचित किया है कि कंपनी अधिनियम,1956 के भाग 274(1)(जी) के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

च) हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, लेखा नीतियों (जो कि लेखों का भाग है) के साथ पठित उक्त लेखा, कंपनी अधिनियम,1956 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी ढंग से देते हैं तथा लेखा सिद्धांतों (जो कि भारत में सामान्यतः स्वीकार्य हैं) के अनुसार स्पष्ट एवं सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं:

i) कंपनी के कामकाज संबंधी मामलों के दिनांक 31 मार्च,2007 के तुलन-पत्र के संबंध में,

ii) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के विषय में लाभ एवं हानि खाते के संबंध में और

iii) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो के संबंध में कैश फ्लो विवरण।

कृते राज गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(राज कुमार गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 17039

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2007

d) In our opinion and to the best of our information, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards referred to in Section 211 (3C) of the Companies Act, 1956, to the extent applicable.

e) The Ministry of Companies Affairs vides their Notification NO. F. No.8/5/2001-CL.V dated 21st October, 2003 has notified that provision of Section 274 (I) (g) of the Companies Act, 1956, shall not apply to a Government Company.

f) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read together with the Accounting Policies and Notes thereon forming part of accounts, give the information required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

i) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2007.

ii) In the case of the Profit & Loss Account, of the profit of the Company for the year ended on that date, and

iii) In case of cash flow statement, of the cash flow for the year ended on that date.

For RAJ GUPTA & CO.
Chartered Accountants

(Raj Kumar Gupta)
Partner
Membership No 17039

Place : New Delhi
Date : August 10, 2007

R.K. AGARWAL
General Manager (C & SO)
Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd
Sharma N...

दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष से संबंधित सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के खातों संबंधी लेखा परीक्षकों की समदिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैरा-2 में निर्दिष्ट

(i)(क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक एवं इनके स्थान संबंधी जानकारी सहित पूर्ण जानकारी दर्शाने वाले माकूल रिकार्ड रखे हैं।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि अचल परिसंपत्तियों का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया गया है। हमारे विचार से सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना के अनुसार वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित की गई अचल परिसंपत्तियों के संबंध में बही रिकार्ड की तुलना में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई है।

(ग) वर्ष में परिसंपत्तियों के किसी पर्याप्त हिस्से का निपटान नहीं किए जाने के कारण वित्तीय विवरण तैयार करने की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ii)(क) प्रबंधन द्वारा संपत्ति-सूची का यथोचित अंतरालों पर प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया गया है।

(ख) हमारी राय में प्रबंधन वर्ग द्वारा सामग्री की प्रत्यक्ष जाँच की अपनायी गयी प्रक्रिया, कंपनी के फैलाव तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए औचित्यपूर्ण एवं पर्याप्त है।

(ग) कंपनी संपत्ति सूची का उचित रिकार्ड रख रही है। संपत्ति सूची के भौतिक सत्यापन के समय पाई गई कमियों का लेखा बहियों में उचित ढंग से निपटान किया गया है।

(iii)(क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुरूप कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने किसी भी प्रकार के प्रतिभूति

ANNEXURE TO THE AUDITORS' REPORT ON THE ACCOUNTS OF SATLUJ JAL VIDYUT NIGAM LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2007

Referred to in para 2 of our report of even date.

(i) (a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.

(b) We are informed that the fixed assets have been physically verified by the management during the year. In our opinion the frequency of verification is reasonable. As per the information given to us by the management, no material discrepancies as compared to book records were noticed in respect of fixed assets physically verified during the year.

(c) Since there is no disposal of a substantial part of fixed assets during the year, the preparation of financial statements on a going concern basis is not affected on this account.

(ii) (a) The inventory has been physically verified by the management at reasonable intervals.

(b) In our opinion, the procedure of physical verification of inventories followed by management is reasonable and adequate in relation to the size of the Company and the nature of its business.

(c) The Company is maintaining proper records of inventory. The discrepancies noticed on physical verification of inventories, wherever material, have been properly dealt within the books of account.

(iii) (a) According to the information and explanations given to us, the Company has not granted or taken any loans, secured or unsecured, to/from Companies, firms or

RWAL
General Manager (C & S
Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd

प्राप्त या गैर-प्रतिभूति प्राप्त ऋण न तो लिए हैं और न ही इस प्रकार के ऋण स्वीकृत किए हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद (iii) के उप अनुच्छेद (ख), (ग) एवं (घ) लागू नहीं होते।

other parties listed in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. In view of this, sub clauses (b), (c) and (d) of clause (iii) are not applicable.

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर के तहत शामिल पार्टियों से कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। इसके परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद (iii) के उप-अनुच्छेद (ड.), (च) एवं (छ) अप्रयोज्य हैं।

(b) The Company has not taken any loans from the parties covered under the register maintained u/s 301 of the Companies Act, 1956. In view of this sub clauses (e), (f) & (g) of clause (iii) are not applicable.

हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा जिन कर्मचारियों तथा पार्टियों को ऋण या अग्रिम दिए गए हैं, उनसे मूलधन तथा ब्याज, जहां लागू हो, की वसूली शर्तानुसार सामान्यतः की जा चुकी है, सिवाए उन मामलों के, जहां वसूली का निर्णय प्रबंधन द्वारा आस्थगित किया गया था। मामला निपटान हेतु डीआरबी के समक्ष लंबित होने के कारण इसकी वसूली/समायोजन डीआरबी द्वारा मामला निपटाए जाने पर किया जाएगा।

In our opinion and according to explanations given to us, the employees and parties to whom the loans or advances in the nature of loans have been given by the Company, the recovery of principal amount and interest, wherever applicable, has generally been made as stipulated, except in cases of parties where the decision of recovery was deferred by the management because of dispute pending for settlement before DRB, the same will be recovered/adjusted on settlement of case by DRB.

(iv) हमारी राय में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं सूचना के अनुसार संपत्ति सूची की मदों तथा अचल परिसंपत्तियों की खरीद तथा बिजली एवं सेवाओं की बिक्री के लिए कंपनी के आकार तथा बिजनेस के स्वरूप के अनुरूप कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है।

(iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there is an adequate internal control procedure commensurate with the size of the Company and the nature of its business for the purchase of inventories, fixed assets and for the sale of power and services.

(v) हमें दी गई सूचना के अनुसार पाँच लाख रूपए से अधिक की राशि का कोई भी सौदा नहीं हुआ है, जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुरूप रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी आवश्यक है।

(v) As informed to us, there is no transaction exceeding rupees five lacs, which need to be entered in a register in pursuance of section 301 of the Companies Act, 1956.

(vi) कंपनी ने जनता से किसी भी प्रकार की जमाराशियां प्राप्त नहीं की हैं। परिणामस्वरूप, कंपनी पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-क एवं 58-क-क और कंपनी (जमाराशि स्वीकार करना) नियम, 1975 के प्रावधान लागू नहीं होते।

(vi) The Company has not accepted any deposits from the public and consequently the provisions of section 58A and 58AA of the Companies Act, 1956 and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 are not applicable.

(vii) यद्यपि कंपनी का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है

(vii) Although the Company has an Internal Audit

...RWAL

तथा कुछ क्षेत्रों की लेखा परीक्षा सनदी लेखाकारों की फर्म द्वारा भी कराई जाती है। तथापि, इसमें सम्मिलित किए गए कार्य का क्षेत्र, रिपोर्टिंग प्रणाली एवं तत्संबंधी अनुपालन और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त को छोड़कर, वर्तमान आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के अनुरूप है।

(viii) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत अपेक्षित लागत संबंधी रिकार्ड रखे हैं। यद्यपि, यह रिकार्ड सही एवं पूर्ण है, यह तय करने के लिए हमने इसकी विस्तृत जांच नहीं की है।

(ix) कंपनी ने छोटे-मोटे ठेकेदारों के श्रम संबंधी मामलों (जहां प्राधिकारियों द्वारा पी.एफ. कोड का आवंटन नहीं किया गया है) को छोड़कर भविष्य निधि, आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर, बिक्री कर सहित सभी प्रकार के गैर-विवादित सांविधिक देय प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कराए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार यथोचित प्राधिकारियों के समक्ष लंबित विवादित मामलों के संबंध में उठाई गई निम्नलिखित मांगों को छोड़कर लेखा बहियों में आय कर/बिक्री कर/संपत्ति कर/ सेवा कर/ सीमा-शुल्क /आबकारी कर/अधिभार के लिए कोई विवादित बकाया शेष नहीं है।

अधिनियम का नाम	देयता का स्वरूप	राशि (लाख रु. में)	जिस फोरम में मामला लंबित है
केन्द्रीय आबकारी अधिनियम, 1944	आबकारी शुल्क दंड	1.00	सीईएसटीएटी

(x) कंपनी को न ही रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष या गत वर्ष के दौरान और न ही इसके तुरंत पूर्व वर्ष में नकदी की हानि हुई है।

(xi) वित्तीय संस्थाओं या बैंकों को देय के पुनर्भुगतान में कंपनी ने किसी भी प्रकार की चूक नहीं की है।

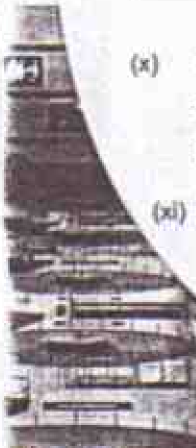

department and also some of the areas got audited by a firm of Chartered Accountants, scope of work covered, reporting system, compliance thereof need to be further strengthened. Subject to above the existing internal audit system is commensurate with its size and nature of its business.

(viii) In our opinion and as informed to us, the Company has maintained cost records as required under Section 209 (1) (d) of the Companies Act, 1956. We have not, however, made detailed examination of the records with a view to determine whether they are accurate and complete.

(ix) Undisputed statutory dues including Provident Fund, Income Tax, Wealth Tax, Service Tax, Sales Tax and any other statutory dues have been generally deposited by the Company in time with appropriate authorities except in the cases of petty contractors' labour where P.F. Code has not been assigned by the appropriate authorities. The provisions of Employees' State Insurance are not applicable to the Company.

According to the information and explanation given to us, there are no disputed dues outstanding in the books of accounts for income tax /sales tax /wealth tax / service tax / custom duty / excise duty /cess except for the following demands raised on disputed matters pending before appropriate authorities:

Name of Statue	Nature of the Dues	Amount (Rs. In Lacs)	Forum where dispute is pending
The Central Excise Act,1944	Excise Duty Penalty	1.00	CESTAT

(x) The Company has not incurred cash losses either during the financial year under report or in the previous year.

(xi) The Company has not defaulted in repayment of dues to financial Institutions or banks.

R.K. AGARWAL
General Manager (C & SO)
Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd.
Sharma Niwas, N...

(xii) हमारी राय में, ऐसे मामले में, जहां कंपनी ने अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत किए हैं, वहां उचित दस्तावेज एवं रिकार्ड रखे हैं।

(xiii) कंपनी किसी भी प्रकार की चिटफण्ड, निधि या म्युच्युअल बेनिफिट फण्ड/सोसायटी नहीं है।

(xiv) कंपनी किसी भी प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा अन्य निवेशों का कार्य नहीं करती है।

(xv) किसी के भी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के संबंध में कंपनी ने किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं दी है।

(xvi) सावधि ऋणों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए ये ऋण लिए गए थे।

(xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों और कंपनी के तुलन-पत्र के समूचे मुआयने के अनुसार हमारी यह रिपोर्ट है कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई किसी भी निधि का उपयोग दीर्घावधि निवेश हेतु नहीं किया गया है।

(xviii) कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों तथा पार्टियों को कंपनी ने (शेयरों का) किसी भी प्रकार का अधिमान आवंटन नहीं किया है।

(xix) कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार के डिबेंचर जारी नहीं किए गए हैं। अतः तत्संबंधी किसी भी प्रकार की प्रतिभूति अथवा चार्ज निर्मित नहीं किया गया है।

(xx) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी पब्लिक इश्यू नहीं निकाला गया।

(xxi) हमारे द्वारा की गई जाँच के दौरान तथा प्रबंधन वर्ग के प्रतिवेदन के अनुसार समीक्षाधीन रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न तो पाई गई है और न ही इसकी सूचना दी गई है।

कृते राज गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(राज कुमार गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 17039

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2007

(xii) In our opinion, adequate documents and records are maintained in case where the Company has granted loans and advances on the basis of other securities.

(xiii) The Company is not a chit fund, nidhi or mutual benefit fund/society.

(xiv) The Company is not dealing or trading in shares, securities, debentures and other investments.

(xv) The Company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions.

(xvi) The term loans were applied for the purpose of which the loans were obtained.

(xvii) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the Company, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term investment.

(xviii) The Company has not made any preferential allotment of shares to parties and Companies covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act.

(xix) The Company has not issued debentures and hence no securities have been created in respect thereof.

(xx) No public issue was made by the Company during the year.

(xxi) During the checks carried out by us and as per management representation, no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the year under report.

For RAJ GUPTA & CO.
Chartered Accountants

(Raj Kumar Gupta)
Partner
Membership No 17039

Place : New Delhi
Date : August 10, 2007

R.K. AGARWAL
General Manager (C & S...

'संलग्नक ख'
'Annexure B'

निगम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखों के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के संबंध में प्रबंधन वर्ग के उत्तर

MANAGEMENT'S REPLIES ON STATUTORY AUDITOR'S QUALIFICATIONS ON ANNUAL ACCOUNTS OF THE CORPORATION FOR THE YEAR 2006-2007

प्रबंधन वर्ग का उत्तर

सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों की अनुसूची 20 के नीति क्र.3.1, नोट 10 एवं 13(i) तथा 13(ii) के प्रति ध्यान आकर्षित किया है।

नीति सं.3.1 के तहत उन मामलों में अचल परिसंपत्तियों के अंतिम मूल्य के निर्धारण का आधार स्पष्ट किया गया है, जहां ठेकेदारों के बिलों का अंतिम रूप से निपटान अभी लंबित/विवादाधीन है। इसे लेखा संबंधी नीति के मुताबिक लेखागत किया गया है।

नोट सं.10, जो स्वतः स्पष्ट है, में बीमा दावे तथा 2005-06 के दौरान बाढ़ से हुई क्षतियों की पुनर्रुद्धार गतिविधियों पर हुए खर्च की एवज में प्राप्त हुई लेखा अदायगी को लेखागत किए जाने के बारे में बताया गया है।

नोट सं.13(i) तथा 13(ii) में यथा आवश्यक अपेक्षित है, लेखा नीतियों में परिवर्तन और उनके प्रभावों के विषय में बताया गया है।

MANAGEMENT'S REPLY

The Statutory Auditors in their Report have drawn attention to Policy No. 3.1, Note No. 10 & 13 (i) and 13 (ii) of Schedule-20 of the Financial Statements.

The Policy No. 3.1 explain the basis of determination of final value of fixed assets in cases where final settlement of bills with the contractors is pending / under dispute. Accounting treatment has been accorded as per the Accounting policy.

Note No. 10, which is self-explanatory, discloses the accounting of an account payment received against the insurance claim and the expenditure on restoration activity against the damages due to floods during 2005-06.

Note No. 13 (i) and 13 (ii) discloses the change in Accounting Policies and impact thereof as required mandatorily.

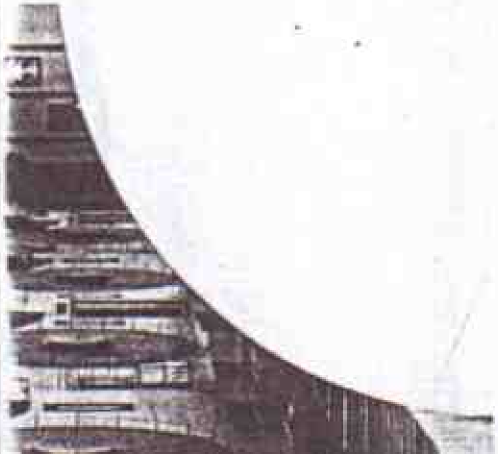

R.K. AGARWAL
General Manager (C & SO)
Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd.
Sharma Niwas, New Shimla-171009

255